तारीख हुक्म	गोपाल V/S रतनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद 103/2020 (2020/00272)	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
07/8/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। संक्षेप में विवाद प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरुद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-188 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण की माता श्रीमती गंगादेवी का देहान्त दिनांक 12/3/2018 को हो चुका है एवं गंगादेवी के पति शिवलाल बारेठ का भी देहान्त दिनांक 16/9/2007 को हो चुका एवं वादी संख्या 1,2 गंगादेवी के जायन्दा पुत्र व वादी संख्या 3,4 गंगादेवी की जायन्दा पुत्रीयां है। वादीगण के अलावा अन्य कोई वारिसान अर्थात उत्तराधिकारी उक्त गंगादेवी के नहीं है। राजस्व ग्राम काछोडिया पटवार मण्डल नारेला स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 73 रकबा 0.82 हे. जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.41 हे. भूमि है, जिसे प्रतिवादी संख्या एक ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05/11/2007 के द्वारा वादीगण की माता गंगादेवी पत्नी स्व. शिवलाल बारेठ निवासी काछोडिया को विक्रय कर कब्जे में देदी। तभी से श्रीमती गंगादेवी उक्त वर्णित विक्रित कृषि भूमि की वैधानिक रूप से अधिकारी व अधिपति हो गयी। चूंकि श्रीमती गंगादेवी कम शिक्षित महिला थी जिसके कारण उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त विक्रित कृषि भूमि का खाता अपने नाम नामान्तरित नही करा पायी और वाद में दिनांक	

(हस्ताक्षर)
(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

गोपाल वि० रतनलाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद 103/2020 (2020/00272)

वादीगण वैधानिक अधिकारी होने से वादीगण को उक्त आराजी सं. 73 रकबा 0.82 में रतनलाल के 1/2 हिस्से अर्थात 0.41 है. के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने की डिक्री प्रदान की जाए एवं प्रतिवादी संख्या 01 रतनलाल के हिस्से पर आ. नं. 73 पर दर्ज प्रतिवादी संख्या 02 का रहन का अंकन गलत एवं अवैध होने से विलोपित किए जाने की डिक्री प्रदान की जाए।

प्रतिवादी संख्या 01 अपने नाम खातेदारी मे गलत दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर ग्राम काठोडिया की आ. नं. 73 मे अपने हिस्से की भूमि को अन्य को हस्तांतरित नही करे और प्रतिवादी सं. 2 अपने ऋण की वसूली की आड मे प्रतिवादी सं. 1 रतनलाल के आ. नं. 73 मे दर्ज हिस्से का विक्रय नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रतिवादी 03 से 05 सहखातेदार होने से प्रकरण मे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी 03 से 05 के विरूद्ध कोई अनुतोष इस वाद मे नही चाहा गया है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 दिनांक 05/7/2020 को भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 इनकार हो गया। इस कारण वाद का वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 घोषणात्मक डिक्री फरमायी जावे कि ग्राम काठोडिया पटवार मण्डल नारेला के खाता सं. 2 पर स्थित आ. नं. 73 रकबा 0.82 हे. मे वादीगण को प्रतिवादी रतनलाल के 1/2 हिस्से अर्थात 0.41 हे. के खातेदार

.......लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ

गोपाल एवं रतनलाल
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
वाद 103/2020 (2020/00272)

घोषित किए जाने एवं प्रतिवादी संख्या 02 का रहन का अंकन गलत एवं अवैध्य होने से विलोपित किए जाने की डिक्री पारित फरमायी जावे। प्रतिवादी संख्या 01 रतनलाल अपने नाम खाते दारी मे गलत दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर भूमि को अन्य को किसी भांति हस्तान्तरित नही करे और प्रतिवादी सं. 02 भी अपने रहन की वसूली की आड मे प्रतिवादी संख्या 01 के आ.नं. 73 मे दर्ज हिस्से को विक्रय नही करे - बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने की डिक्री पारित फरमायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने इकेबावजूद सूचना उपस्थित नही होने से दिनांक 13/4/2022 इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गये। गवाह वादी गोपाल ने बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज विक्रय पत्र Ex1, नकल जमाबन्दी ग्राम कानोडिया खाता सं. 2 Ex2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2063-2066 Ex3, नकल नामा० संख्या 401 Ex4, नकल नामान्तरण सं. 430 Ex5 प्रदर्शित कराये। बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने बिवरण किया कि वादीगण की माता गंगादेवी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 रतनलाल से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय ग्राम कानोडिया तह. गंगरार की आ. सं. 73 रकबा 0.82 मे से 1/2 हक

---- लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ

गोपाल वि रतनलाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद 103/2020 (2020/00272)

12/03/2018 को गंगादेवी की मृत्यु हो गयी और जमाबन्दी मे उक्त आराजी नम्बर 73 रकबा 0.82 है. मे प्रतिवादी संख्या1 द्वारा गंगाबाई को विक्रय किया गया हिस्सा भी; विक्रय के आधार पर नामान्तरित न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर ही चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना नाम खातेदार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 से उक्त विक्रय के तथ्य को छिपाते हुए बेइमानी पूर्वक उक्त भूमि पर ऋण प्राप्त कर लिया, जिसका उसे कोई अधिकार नही था। इस तथ्य की कोई जानकारी गंगादेवी के जीवन काल मे गंगादेवी को व गंगादेवी के निधन के बाद वादीगण को नही रही। यह जानकारी कुछ दिनो पूर्व ही हो पायी। गंगादेवी के निधन के बाद वादीगण गंगादेवी के वैधानिक उत्तराधिकारी होने के कारण गंगादेवी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 01 से खरीद की गई आ. नं. 73 रकबा 0.82 का 1/2 हिस्से के वैधानिक अधिकारी है और चूंकि इसका खाता प्रतिवादी संख्या 1 के बजाय श्रीमती गंगादेवी रद्दोबदल नही हो पाया इस कारण वादीगण को यह वाद बाबत घोषणात्मक डिक्री हेतु पेश करने की नौबत आयी है कि ग्राम काठोडिया प०ह० नारेला स्थित आ. नं. 73 रकबा 0.82 हे भूमि मे प्रतिवादी सं. 01 रतनलाल के 1/2 हिस्से अर्थात 0.41 हे भूमि जो वादीगण की माता गंगादेवी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद का कब्जा प्राप्त किया, जिसके

--- लगातार

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

गोपाल वि० रतनलाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद 103/2020 (2020/00272)

हिस्सा क्रय किया गया, जिसका नामान्तरण गंगादेवी के अशिक्षित होने से नहीं खुलवाया। एवं अब चूंकि गंगादेवी की मृत्यु हो चुकी है और वादीगण गंगादेवी के विधिक वारिस है तथा यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी उक्त भूमि को रहन मुक्त कर दिया गया है। अतः ग्राम कठोडिया पट० नारेला स्थित आराजी संख्या 73 रकबा 0.82 का 1/2 हिस्सा अर्थात 0.41 हे. भूमि के वादीगण को खातेदार घोषित किए जाने की डिक्री प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का प्रतिवादीगण 1 से 2 की ओर से कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुए हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज EX1 विक्रय पत्र एवं EX2 नकल जमाबन्दी से वादीगण का वाद पत्र प्रमाणित पाया जाता है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कठोडिया पट० नारेला स्थित आराजी संख्या 73 रकबा 0.82 हे. के 1/2 हिस्से यानि 0.41 हे. के वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड मे उक्त 0.41 हे. भूमि प्रतिवादी सं. 1 रतनलाल पिता गोपीलाल गुर्जर के बजाय वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज की जावे। डिक्री जारी हो। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री रामचन्द्र खटीक उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.गोपाल बोरठ पिता स्व.शिवलाल बारेठ नि.काठोडिया पो.बोरदा तह.व जिला चित्तौडगढ़
2.गोविन्द उर्फ सत्यनारायण पिता स्व.शिवलाल बारेठ नि.काठोडिया पो.बोरदा तह.व जिला चित्तौडगढ़
3.श्रीमती प्रेम देवी पुत्री स्व.शिवलाल बारेठ नि.काठोडिया पो.बोरदा तह.व जिला चित्तौडगढ़
4.श्रीमती मीना बारेठ पुत्री स्व.शिवलाल बारेठ नि.काठोडिया हाल सैनिक स्कूल चित्तौडगढ़ तह.व जिला चित्तौडगढ़

–वादीगण

बनाम

1.रतनलाल पिता गोपीलाल गुर्जर नि.काठोडिया पो.बोरदा तह.व जिला चित्तौडगढ़
2.ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि.नारेला जरिये व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि.नारेला तह.व जिला चित्तौडगढ़
3.कालू पिता हीरा गुर्जर नि.काठोडिया पो.बोरदा तह.व जिला चित्तौडगढ़
4.भेरू लाल पिता हीरा गुर्जर नि.काठोडिया पो.बोरदा तह.व जिला चित्तौडगढ़
5.संपत पिता हीरा गुर्जर नि.काठोडिया पो.बोरदा तह.व जिला चित्तौडगढ़
6.राज्य सरकार के प्रतिनिधि भूमिधारी श्री तहसीलदार सा.चित्तौडगढ़

–प्रतिवादीगण

प्र.सं. 103/2020 (GCMS 2020/00272)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण की ओर से वकील श्री बसन्तीलाल पोखरना की, और प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री – की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम काठोडिया प.ह.नारेला स्थित आराजी संख्या 73 रकबा 0.82 हे. के 1/2 हिस्से यानि 0.41 हे. के वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड मे उक्त 0.41 हे. भूमि प्रतिवादी सं. 1 रतनलाल पिता गोपीलाल गुर्जर के बजाय वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज की जावे।

इस वाद के खर्च – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा – को दी जावे। यह आज दिनांक 07.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़